ए.

दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम

बनाम

एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. टोल्वाइस प्राइवेट लिमिटेड। (2018 की सिविल अपील संख्या 11249)

बी.

नवंबर 22,2018

[एस**.** ए**.** बोबडे और एल**.** नागेश्वर राव**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थताः

मध्यस्थ की नियुक्ति-उच्च न्यायालय द्वारा-विचाराधीन समझौते के खंड 16.3 के आधार पर-स्वामित्व-आयोजितःविचाराधीन समझौते का खंड 16.3 एक मध्यस्थता खंड नहीं था-इसमें विभागीय अपील के लिए प्रावधान किया गया था-खंड का उद्देश्य सक्षम अधिकारी और आयुक्त को पर्यवेक्षी नियंत्रण प्रदान करना था-इसका उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना नहीं था-अपील का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है और इसका उपयोग केवल क़ानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किया जा सकता है-न्यायालय को एक वैधानिक निकाय द्वारा निष्पादित अनुबंध में एक खंड का अर्थ लगाते समय एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, जिसमें अपील का प्रावधान हो, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति करना उचित नहीं था।11(6) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-कानूनों की व्याख्या-व्याख्या के नियम।

सी.

डी.

ई.

मध्यस्थता की प्रकृति-आयोजितःमध्यस्थता न्यायिक जाँच की प्रकृति की जाँच होनी चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि **1.** अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित **14.05.2011** समझौते में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर सभी सीमा प्रवेश बिंदुओं पर निर्दिष्ट वाणिज्यिक वाहनों से टोल कर के संग्रह के लिए दोनों पक्षों के विभिन्न पारस्परिक अधिकारों**,** देनदारियों और दायित्वों का प्रावधान है।समझौते के खंड **16** में दो चरणों में विवादों के समाधान का प्रावधान है।सबसे पहले**,** खंड **16.2** द्वारा एस**.** डी**.** एम**.** सी**.** के सक्षम अधिकारी द्वारा और उसके बाद खंड **16.3** द्वारा नगर निगम के आयुक्त द्वारा।**[**पारस **12** और **14] [1125-**एफ**; 1126-**जी**-**एच**]**

एफ.

जी.

2. समझौते का खंड **16.3,** जिसके तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **11 (6)** के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आवेदन किया गया था**,** को अपील के रूप में वर्णित किया गया है।

एच.

1120 ए.

1121

दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड।

उक्त खंड में।यह व्याख्या का एक स्थिर सिद्धांत है कि जब तक शब्द एक अस्पष्टता पैदा नहीं करता है**,** तब तक दूसरे अर्थ पर विचार करना आवश्यक नहीं है।वास्तव में**,** यह एक अपील है क्योंकि ठेकेदार अपील का सहारा लेने का हकदार है**,** यदि ठेकेदार सक्षम अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है**,** जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने में संभावित विफलता भी शामिल है**,** यानी **30** दिनों के भीतर।अपीलीय प्रावधान केवल सक्षम अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट ठेकेदार द्वारा लागू किया जा सकता है।दूसरा पक्ष**,** अर्थात एक सक्षम अधिकारी जिसने एक ऐसी मांग उठाई है जिसका ठेकेदार ने पालन नहीं किया है**,** ऐसी अपील दायर नहीं कर सकता है। अपील का अधिकार केवल असंतुष्ट ठेकेदार तक ही सीमित है।और वह भी खंड **16.2** के तहत निवारण प्राप्त करने में विफलता पर।यह तंत्र स्पष्ट रूप से एक विभागीय अपील की प्रकृति में एक अपील है जो आमतौर पर सेवा नियमों सहित कई विभाग नियमों में प्रदान की जाती है। इस तरह की विभागीय अपीलें हमेशा एक नामित अधिकारी द्वारा तय की जाती हैं और केवल एक असंतुष्ट पक्ष जैसे ठेकेदार या कर्मचारी द्वारा ही लागू की जा सकती हैं।इस तरह की अपीलीय शक्तियों को स्पष्ट रूप से पक्षों द्वारा तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि अपील की स्थापना करने वाले प्रावधान की भाषा में इसके लिए स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ का प्रावधान न हो।अपील का अधिकार कानून का एक सृजन है और इसका प्रयोग

केवल कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किया जा सकता है।**[**पारस **17** और **18] [1128-**ए**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

नागपुर शहर निगम बनाम कर्मचारी आकाशवाणी

1960 एससी 675:[1960] एस. सी. आर. 942; नेल्सन मोटीस बनाम भारत संघ (1992) 4 एस. सी. सी. 711:[1992] 1 पूरक।एससीआर

325 ; नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता **(2005) 2** एससीसी

271 :[2004] 6 पूरक।एससीआर 1141; गंगा बाई बनाम विजय कुमार (1974) 2 एससीसी 393:[1974] 3 एस. सी. आर 882; राज्य

एफ.

हरियाणा बनाम मारुति उद्योग लिमिटेड **(2000) 7** एस**.** सी**.** सी**. 328:**

[2000] 3 पूरक।एस. सी. आर. 185; राज कुमार शिवहरे बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2010) 4 एस. सी. सी. 772:[2010] 4 एससीआर 608-पर निर्भर।

3. न्यायालय को किसी सांविधिक निकाय द्वारा निष्पादित अनुबंध में किसी खंड का अर्थ लगाते समय और अपील का प्रावधान करते समय एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। खंड **16.3** की भाषा किसी अन्य निर्माण के लिए नहीं है**,** सिवाय इसके कि यह खंड **16.2** के तहत दिए गए सक्षम अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है।**[**पैरा **19] [1128-**एफ**-**जी**]**

जी.

एच.

1122 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 13 एस. सी. आर.

ए.

4. मध्यस्थता न्यायिक जाँच के रूप में एक जाँच होनी चाहिए अर्थात एक जाँच जिसमें दोनों पक्षों को सुनना शामिल है।वर्तमान मामले में शामिल अपील में स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों की सुनवाई शामिल नहीं है।इसके विपरीत**,** जो प्राधिकारी अपील का निर्णय करता है**,** वह एक अर्थ में दूसरा पक्ष है।आयुक्त उसी संगठन में सक्षम अधिकारी से उच्च अधिकारी होता है।इसलिए**,** यह

स्पष्ट है कि आयुक्त को की गई अपील का उद्देश्य एक निष्पक्ष न्यायनिर्णायक द्वारा निर्णय के लिए एक मंच प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल मतभेदों को उत्पन्न होने से रोकने के उद्देश्य से कुछ मामलों का पता लगाना है, न कि उनके उत्पन्न होने के बाद उन्हें निपटाना है।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयुक्त का मध्यस्थ बनने का इरादा नहीं है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र को दोनों पक्षों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **21] [1129-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

5. मध्यस्थता को हमेशा उस प्रक्रिया के रूप में समझा गया है जिसके द्वारा दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के तहत दोनों पक्षों को चुने गए या स्वीकार्य मध्यस्थ द्वारा विवाद का समाधान किया जाता है।वर्तमान मामले में, समझौते के खंड **16** के तहत, केवल सक्षम अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट पक्ष ही आयुक्त से संपर्क कर सकता है।अतः यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि आयुक्त के समक्ष कार्यवाही एक मध्यस्थता के रूप में गठित होती है। **[**पैरा **22] [1129-**जी**]** के**.** के**.** मोदी बनाम के**.** एन**.** मोदी **(1998) 3** एससीसी **573: [1998] 1**

डी.

ई.

एससीआर **601;** उड़ीसा राज्य बनाम दामोदर दास **(1996) 2**

एससीसी 216:[1995] 6 पूरक।एससीआर 800; यू. पी. राज्य बनामटिपर चंद (1980) 2 एस. सी. सी. 341-पर निर्भर था।

मध्यस्थता पर रसेल**-**संदर्भित।

एफ.

6. वर्तमान मामले में, खंड **16** और विशेष रूप से खंड **16.3** में पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने का प्रावधान नहीं है।इस खंड का उद्देश्य सक्षम अधिकारी और आयुक्त को समय**-**समय पर इसके निष्पादन और उस पर प्रशासनिक नियंत्रण पर पर्यवेक्षी नियंत्रण प्रदान करना है और इस प्रकार विवादों को रोकना है। इसका उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना नहीं है।इस प्रकार, वर्तमान परिस्थितियों में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** की धारा **11 (6)** के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। **[**पैरा **24] [1132-**सी**-**डी**]** ए

जी.

एच.

1123

दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड।

संदर्भित विधि निर्णय

[1960] एससीआर **942**

उस पर भरोसा करें

पैरा **17**

[1992] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 325** पर निर्भर

पैरा **17**

[2004] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1141** पर निर्भर

पैरा **17**

बी.

पैरा **18**

[1974] 3 एससीआर **882**

उस पर भरोसा करें

[2000] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 185** पर निर्भर

पैरा **18**

[2010] 4 एससीआर **608**

उस पर भरोसा करें

पैरा **18**

[1998] 1 एससीआर **601**

उस पर भरोसा करें

पैरा **22**

सी.

[1995] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 800** पर निर्भर

पैरा **23**

(1980) 2 एस**.** सी**.** सी**. 341**

उस पर भरोसा करें

पैरा **23**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2018 की सिविल अपील संख्या 11249

डी.

2015 की मध्यस्थता याचिका संख्या 475 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.06.2016 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बनर्जी, सुश्री हर्ष पीचारा, प्रवीण स्वरूप, आशीष तिवारी, सुभ्रो मुखर्जी, सुश्री राका चटर्जी, साहिल टागोत्रा, अधिवक्ता।

ई.

सचिन दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री गायत्री वर्मा, सुश्री प्रीति शर्मा, सुश्री पूर्णिमा राज, वसंत, विकास मेहता, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. ए. बोबडे, जे. 1.छुट्टी दे दी गई।

एफ.

2. अपीलार्थी-दक्षिण दिल्ली नगर निगम (इसके बाद 'एस. डी. एम. सी.' के रूप में संदर्भित) ने मध्यस्थता याचिका सं. 475/2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17.06.2016 के विवादित आदेश को चुनौती दी है।उस आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. एम. डब्ल्यू. टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'एस. एम. एस. ए. एम. डब्ल्यू.' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी।

जी.

संक्षिप्त तथ्य

3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (इसके बाद 'एनएचएआई' के रूप में संदर्भित) ने एक राज्य सहायता समझौता किया (इसके बाद)।

एच.

ए.

एनएच-8 राजमार्ग के कुछ खंडों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, पूर्णता, संचालन, रखरखाव और टोल संग्रह के लिए मेसर्स जेपी-डीएससी वेंचर्स लिमिटेड (इसके बाद 'रियायतकर्ता' के रूप में संदर्भित) दिनांकित 'एसएसए' के रूप में संदर्भित।

4. एस. एस. ए. के तहत व्यवस्था यह थी कि एन. एच. ए. आई. का रियायत प्राप्तकर्ता न केवल एन. एच. ए. आई. और उसके रियायत प्राप्तकर्ता के बीच निष्पादित रियायत समझौते के तहत टोल एकत्र करेगा, बल्कि दिल्ली के एन. सी. टी. के क्षेत्र में निर्दिष्ट वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर अपीलकर्ता-एस. डी. एम. सी. द्वारा लगाया गया प्रवेश शुल्क (टोल कर) भी एकत्र करेगा।अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. एस. एस. ए. के तहत दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार की एक 'नामित एजेंसी' है। 5.अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर सभी सीमा प्रवेश बिंदुओं से टोल कर एकत्र करने के उद्देश्य से एक ठेकेदार को नियुक्त करने का निर्णय लिया और तदनुसार इच्छुक पक्षों से बोलियां आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की।सफल बोलीदाता होने के नाते प्रत्यर्थी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. को 3 साल की अवधि के लिए टोल कर के संग्रह के लिए कार्य प्रदान किया गया था और अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. और प्रत्यर्थी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. के बीच दिनांकित 14.05.2011 (जिसे इसके बाद 'समझौता' के रूप में संदर्भित किया गया है) एक द्विपक्षीय समझौता किया गया था।

बी.

सी.

डी.

6. समझौते के अनुसार, प्रत्यर्थी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर सभी प्रवेश बिंदुओं से एकत्र किए गए कर के बदले अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. आई. को हर महीने Rs.26 करोड़ की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य था।हालांकि, राजोकरी एकीकृत टोल प्लाजा के लिए उक्त टोल कर को एसएसए के तहत निर्धारित तंत्र के माध्यम से एकत्र किया गया था, यानी यह एनएचएआई के रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा एकत्र किया जाएगा और प्रतिवादी-एसएमएस एएएमडब्ल्यू को पारित किया जाएगा।

ई.

एफ.

7. इसके बाद, 19 फरवरी 2014 को, राजोकरी एकीकृत टोल प्लाजा को ध्वस्त कर दिया गया, जाहिरा तौर पर, एसएसए के पक्षों के बीच एक समझ के परिणामस्वरूप। यह प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. का मामला है कि इस स्थिति के कारण, राजोकरी एकीकृत टोल प्लाजा से अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. के टोल कर के संग्रह की व्यवस्था करने के लिए खर्च उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।नतीजतन, प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. को लगभग Rs.80 करोड़ का भारी नुकसान हुआ।

जी.

8. इसके बाद, प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. द्वारा अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. और एस. एस. ए. के तहत अन्य पक्षों को दिनांक 09.03.2015 पर मध्यस्थता का एक नोटिस भेजा गया, जिसमें उन मुद्दों और विवादों का विवरण दिया गया था जिनमें ए.

एच.

1125

दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम एस. एम. एस. ए. एम. डब्ल्यू. टोल्वाइस प्राइवेट लिमिटेड [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

एसएसए के खंड 9 के तहत उत्पन्न हुआ। अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. ने दिनांकित 7.5.2015 पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी के खिलाफ Rs.97,08,76,449 की मांग उठाई-एस. एम. एस. AAMW.To इसरस्पॉन्डेंट-एस. एम. एस. ए. ए. एम. ने दिनांकित 11.05.2015 पत्र के माध्यम से जवाब दिया, जिसमें अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. द्वारा गणना में गलतियों को स्पष्ट किया गया। इसके बाद, अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. ने खातों का मिलान किया और मांग को घटाकर Rs.80,46,31,504-दिनांकित 13.05.2015 पत्र के माध्यम से कर दिया।

बी.

9. प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. ने दिनांकित 13.05.2015 पत्र में निहित निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण, दिनांकित 26.05.2015 पत्र के माध्यम से समझौते के खंड 16.3 के तहत अपील की।तत्पश्चात, अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. ने 17.06.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. को सूचित किया कि चूंकि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता खंड नहीं है, इसलिए मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है।

सी.

10. हालाँकि, प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. ने एस. एस. ए. के खंड 9 और दिनांकित समझौते के खंड 16 पर भरोसा करते हुए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थता याचिका दायर की।दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. द्वारा

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।

डी.

ई.

11. इस मामले का निर्णय इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या एक ओर अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. और दूसरी ओर प्रत्यर्थी-एस. एम. एस. ए. एम. डब्ल्यू. के बीच दिनांकित समझौते के खंड 16.3 में मध्यस्थता के लिए समझौता है।

एफ.

12. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर सभी सीमा प्रवेश बिंदुओं पर निर्दिष्ट वाणिज्यिक वाहनों से टोल कर के संग्रह के लिए दोनों पक्षों के विभिन्न पारस्परिक अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों के लिए दिनांकित समझौता।

समझौते का खंड 16 पूरी तरह से इस प्रकार हैः-

जी.

“16. विवाद समाधान

16.1 समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, समझौते से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी तरह के सभी प्रश्नों और विवादों से नीचे उल्लिखित तरीके से निपटा जाएगा।

एच.

16.2 यदि ठेकेदार किसी कार्य की मांग को समझौते की आवश्यकताओं के बाहर मानता है, या समझौते के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी भी रिकॉर्ड या निर्णय पर विवाद करता है, तो वह तुरंत [15] दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी से लिखित रूप में अपने निर्देश या निर्णय देने का अनुरोध करेगा।तत्पश्चात, सक्षम अधिकारी ठेकेदार के पत्र की प्राप्ति के [30] दिनों की अवधि के भीतर अपने लिखित निर्देश या निर्णय देगा।

बी.

सी.

16.3 यदि सक्षम अधिकारी उपरोक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में अपने निर्देश या निर्णय देने में विफल रहता है या यदि ठेकेदार सक्षम अधिकारी के निर्देशों या निर्णय से असंतुष्ट है, तो

ठेकेदार, सक्षम अधिकारी के निर्देशों या निर्णय की प्राप्ति के [15] दिनों के भीतर, आयुक्त से अपील कर सकता है, जो ठेकेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, यदि ठेकेदार चाहता है, और अपनी अपील के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करेगा।आयुक्त ठेकेदार की अपील प्राप्त होने के [30] दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना निर्णय देगा जो ठेकेदार को स्वीकार्य होगा।"

डी.

ई.

13. इसके अलावा, खंड 20 जो समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों का संदर्भ देता है, निम्नानुसार हैः

"20. गौण प्रावधान 20.1 शासी कानून और क्षेत्राधिकार (क)।

एफ.

(ख) इस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद केवल दिल्ली के न्यायालयों के एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।"

14. इस प्रकार, खंड 16 के एक सादे पठन से यह देखा जा सकता है कि यह दो चरणों में विवादों के समाधान का प्रावधान करता है।सबसे पहले, एस. डी. एम. सी. के सक्षम अधिकारी द्वारा खंड 16.2 के बाद नगर निगम के आयुक्त द्वारा खंड 16.3 के माध्यम से।

जी.

एच.

1127

दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम बनाम एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. टोल्वाइस प्राइवेट लिमिटेड [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

ए.

पहला चरणः- यदि कोई मामला सामने आता है जिसमें एक ठेकेदार को लगता है कि यदि मांग किया गया काम समझौते के दायरे से बाहर है या सक्षम अधिकारी के किसी भी निर्णय पर विवाद करने की आवश्यकता महसूस करता है यदि उसके द्वारा बनाया गया कोई रिकॉर्ड अस्वीकार्य है, तो वह सक्षम अधिकारी से उसका प्रतिनिधित्व तय करने या निर्देश देने का अनुरोध कर सकता है।सक्षम अधिकारी ठेकेदार से इस तरह के पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।

बी.

दूसरा चरणः- यदि सक्षम अधिकारी 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है या यदि ठेकेदार अपने निर्णय से असंतुष्ट है, तो ठेकेदार, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय प्राप्त होने के 15

दिनों के भीतर, एस. डी. एम. सी. के आयुक्त को अपील दायर कर सकता है। आयुक्त ठेकेदार को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य है और ठेकेदार इस मामले के समर्थन में सबूत पेश करने का हकदार है।इस स्तर पर, आयुक्त 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना निर्णय दे सकता है।खंड निर्णय को ठेकेदार के लिए अनिवार्य रूप से 'स्वीकार्य' बनाता है जिसका संभवतः अर्थ है कि यह उस पर बाध्यकारी होगा।

सी.

डी.

15. वर्तमान मामले में जैसा कि पहले कहा गया है, मध्यस्थता की सूचना ठेकेदार द्वारा एसएसए के तहत 09.03.2015 पर भेजी गई थी। दिनांकित 26.05.2015 पत्र द्वारा, ठेकेदार अर्थात एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. ने समझौते के खंड 16.3 के तहत एक अपील दायर की।यह अपील सक्षम अधिकारी, एस. डी. एम. सी. दिनांकित 13.05.2015 के पत्र में निहित निर्णय के खिलाफ की गई थी।अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की और आगे मांग की कि निर्णय खंड 16.3 के तहत लिया जाना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. ने अपने दिनांकित 13.05.2015 पत्र में अपीलार्थी-एस. डी. एम. सी. के निर्णय के खिलाफ अपील के प्रावधान का सहारा लिया।उस पत्र में, उन्होंने मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग नहीं की, बल्कि केवल उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की तुलना में उच्च पद के अधिकारी से निर्णय की मांग की, जो एक अपीलीय प्रावधान को लागू करने के समान है।

ई.

एफ.

जी.

16. हमारे सामने सवाल यह है कि क्या खंड 16.3, जो अपील का प्रावधान करता है, वास्तव में मध्यस्थता का प्रावधान करता है और इसलिए क्या उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने का हकदार था।

एच.

17. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या खंड मध्यस्थता या विभागीय अपील के लिए प्रावधान करता है, खंड 16 की कुछ विशेषताओं का विज्ञापन करना आवश्यक है।सबसे पहले, खंड

16.3, जिसके तहत अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आवेदन किया गया था, को उक्त खंड में अपील के रूप में वर्णित किया गया है।यह व्याख्या का एक स्थिर सिद्धांत है कि जब तक शब्द एक अस्पष्टता पैदा नहीं करता है, तब तक दूसरे अर्थ पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

बी.

वास्तव में, यह एक अपील है क्योंकि ठेकेदार अपील का सहारा लेने का हकदार है, यदि ठेकेदार सक्षम अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने में संभावित विफलता भी शामिल है, यानी 30 दिनों के भीतर।यह महत्वपूर्ण है कि अपीलीय प्रावधान केवल सक्षम अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट ठेकेदार द्वारा लागू किया जा सकता है। दूसरा पक्ष, अर्थात एक सक्षम अधिकारी जिसने ऐसी मांग उठाई है जिसका ठेकेदार ने पालन नहीं किया है, वह ऐसी अपील दायर नहीं कर सकता है।अपील का अधिकार केवल असंतुष्ट ठेकेदार तक ही सीमित है।और वह भी खंड 16.2 के तहत निवारण प्राप्त करने में विफलता पर।

सी.

डी.

18. यह तंत्र स्पष्ट रूप से एक विभागीय अपील की प्रकृति में एक अपील है जो आमतौर पर सेवा नियमों सहित कई विभाग नियमों में प्रदान की जाती है।इस तरह की विभागीय अपीलें हमेशा एक नामित अधिकारी द्वारा तय की जाती हैं और केवल एक असंतुष्ट पक्ष जैसे ठेकेदार या कर्मचारी द्वारा ही लागू की जा सकती हैं।इस तरह की अपीलीय शक्तियों को स्पष्ट रूप से पक्षों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अपील की स्थापना करने वाले प्रावधान की भाषा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।यह तय किया गया कानून है कि अपील का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है और इसका प्रयोग केवल क़ानून 2 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किया जा सकता है।

ई.

19. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि इस न्यायालय को एक वैधानिक निकाय द्वारा निष्पादित अनुबंध में एक खंड का अर्थ लगाते हुए और अपील का प्रावधान करते हुए एक अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाना चाहिए।खंड 16.3 की भाषा किसी अन्य निर्माण के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि यह खंड 16.2 के तहत दिए गए सक्षम अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है।

एफ.

जी.

1 (रेफ. नागपुर शहर निगम बनाम कर्मचारी ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 675, नेल्सन मोटीस बनाम भारत संघ (1992) 4 एस. सी. सी. 711, नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता (2005) 2 एस. सी. सी. 271)।

2 (रेफ. गंगा बाई बनाम विजय कुमार (1974) 2 एस. सी. सी. 393, हरियाणा राज्य बनाम मारुति उद्योग लिमिटेड (2000) 7 एस. सी. सी. 328, राज कुमार शिवहरे बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2010) 4 एस. सी. सी. 772)

एच.

1129

दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम बनाम एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. टोल्वाइस प्राइवेट लिमिटेड [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

ए.

20. प्रत्यर्थी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. ने मध्यस्थता पर रसेल के निम्नलिखित अंश पर भरोसा रखा, जो इस प्रकार हैः-

"यदि उस समझौते की शर्तों से ऐसा प्रतीत होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के निर्णय के लिए कोई मामला प्रस्तुत किया जाता है, कि पक्षों का इरादा यह था कि वह न्यायिक जांच की प्रकृति में जांच करे और पक्षों के संबंधित मामलों को सुने और उसके सामने रखे गए साक्ष्य पर निर्णय ले, तो मामला मध्यस्थता में से एक है।ऐसे मामले में इरादा यह है कि न्यायिक तरीके से न्यायिक जांच की जाए।दूसरी ओर, ऐसे मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति को मतभेदों को उत्पन्न होने से रोकने के उद्देश्य से कुछ मामलों का पता लगाने के लिए नियुक्त किया जाता है, न कि जब वे उत्पन्न होते हैं तो उन्हें निर्धारित करने के लिए।"

बी.

सी.

21. प्रतिवादी-एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. द्वारा इस निवेदन का समर्थन करने के लिए इस पर भरोसा किया गया था कि खंड 16.3 आयुक्त को अपील करने का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि आयुक्त द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करता है।उपरोक्त परिच्छेद में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि एक मध्यस्थता न्यायिक जांच के रूप में एक जांच होनी चाहिए यानी एक जांच जिसमें दोनों पक्षों को सुनना शामिल है।वर्तमान मामले में शामिल अपील में स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों की सुनवाई शामिल नहीं है।इसके विपरीत, जो प्राधिकारी अपील का निर्णय करता है, वह एक अर्थ में दूसरा पक्ष है।आयुक्त उसी संगठन में सक्षम अधिकारी से उच्च अधिकारी होता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आयुक्त को की गई अपील का उद्देश्य एक निष्पक्ष न्यायनिर्णायक द्वारा निर्णय के लिए एक मंच प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल मतभेदों को उत्पन्न होने से रोकने के उद्देश्य से कुछ मामलों का पता लगाना है, न कि उनके उत्पन्न होने के बाद उन्हें निपटाना है।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयुक्त का मध्यस्थ बनने का इरादा नहीं है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र को दोनों पक्षों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

22. मध्यस्थता को हमेशा उस प्रक्रिया के रूप में समझा गया है जिसके द्वारा दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के तहत दोनों पक्षों को चुने गए या स्वीकार्य मध्यस्थ द्वारा विवाद का समाधान किया जाता है।वर्तमान मामले में, समझौते के खंड 16 के तहत केवल सक्षम अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट पक्ष ही आयुक्त से संपर्क कर सकता है।अतः यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि आयुक्त के समक्ष कार्यवाही एक मध्यस्थता के रूप में गठित होती है।के. के. मोदी बनाम के. एन. मोदी 3 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

जी.

3 1998 (3) एस. सी. सी. 573

एच.

1130 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 13 एस. सी. आर.

"17. मध्यस्थता समझौते के रूप में माने जाने वाले समझौते के लिए जो विशेषताएँ मौजूद होनी चाहिए, उनमें शामिल हैंः

(1) मध्यस्थता समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण का निर्णय समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

बी.

(2) कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण की अधिकारिता या तो पक्षकारों की सहमति से या न्यायालय के आदेश से या किसी कानून से प्राप्त होनी चाहिए, जिसकी शर्तों से यह स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया एक मध्यस्थता होनी चाहिए, (3) समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि पक्षों के मूल अधिकार सहमत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, (4) कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्षता के समान दायित्व के कारण न्यायाधिकरण के साथ निष्पक्ष और न्यायिक तरीके से पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करेगा।

सी.

डी.

(5) कि न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए अपने विवादों को संदर्भित करने के लिए पक्षों की सहमति का उद्देश्य कानून में प्रवर्तनीय होना चाहिए और अंत में,

(6) समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण एक ऐसे विवाद पर निर्णय लेगा जो पहले से ही उस समय तैयार किया गया है जब न्यायाधिकरण को एक संदर्भ दिया जाता है।

ई.

18. प्रासंगिक अन्य कारकों में शामिल हैं, क्या समझौता इस बात पर विचार करता है कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों से साक्ष्य प्राप्त करेगा और उनकी दलीलें सुनेगा या कम से कम पक्षों को उन्हें सामने रखने का अवसर देगा; क्या समझौते के शब्द इस दृष्टिकोण के अनुरूप या असंगत हैं कि प्रक्रिया का उद्देश्य एक मध्यस्थता होना था, और क्या समझौते के लिए न्यायाधिकरण को कानून के अनुसार विवाद का फैसला करने की आवश्यकता है।"

एफ.

जी.

23. खंड 16 का दायरा सीमित है।खंड 16.1 में यह प्रावधान है कि समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों और विवादों से निम्नलिखित तरीके से निपटा जाएगा, जैसे कि खंड 16.2 और खंड 16.3 में प्रावधान किया गया है।खंड 16.2 एक ठेकेदार को सक्षम बनाता है कि वह सक्षम अधिकारी से लिखित रूप में अपने निर्देश या निर्णय देने का अनुरोध कर सके, जब (ए) ए

एच.

1131

दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम बनाम एस. एम. एस. ए. ए. एम. डब्ल्यू. टोल्वाइस प्राइवेट लिमिटेड [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

ठेकेदार अपने द्वारा मांगे गए किसी भी काम को समझौते की आवश्यकताओं के बाहर मानता है, या (बी) समझौते के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी भी रिकॉर्ड या निर्णय को अस्वीकार्य मानता है।सक्षम अधिकारी को 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने लिखित निर्देश या निर्णय देने का आदेश दिया जाता है।उसे विवाद का फैसला करने में पूरा विवेक प्राप्त होता है।खंड 16.3 में यह प्रावधान है कि किसी ऐसे मामले के मामले में जिसमें सक्षम अधिकारी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है, ठेकेदार आयुक्त से अपील कर सकता है जो ठेकेदार को सुनने और साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करेगा।न तो सक्षम अधिकारी और न ही आयुक्त को न्यायिक रूप से कार्य करने का आदेश दिया गया है, अर्थात दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय।वास्तव में, दोनों अधिकारियों, सक्षम अधिकारी और आयुक्त को केवल एक पक्ष यानी ठेकेदार के साथ काम करने की आवश्यकता होती है।इसे न्यायिक प्रकृति की जांच के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है जिसमें अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों के मामले पर विचार करना शामिल है।इसके अतिरिक्त, समझौते के खंड 16.3

में किसी भी विवाद या मध्यस्थता के संदर्भ को संदर्भित करने का कोई प्रावधान नहीं है।उड़ीसा राज्य बनाम दामोदर दास 4 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों को मंजूरी दीः

बी.

सी.

डी.

यू. पी. राज्य बनामटिपर चंदः- “11. इस न्यायालय से यू. पी. बनाम राज्य में इसी तरह के खंड पर विचार करने के लिए कहा गया था।टिपर चंद [(1980) 2 एससीसी 341]।खंड को उसमें निकाला गया था।उस पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त खंड की सामग्री पर विचार करने और पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद "हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।मान लीजिए, खंड में कोई स्पष्ट मध्यस्थता समझौता नहीं है।न ही इस तरह के समझौते को इसकी शर्तों से निहितार्थ द्वारा लिखा जा सकता है, इसमें किसी भी विवाद का कोई उल्लेख नहीं है, इसका कोई संदर्भ नहीं है।दूसरी ओर, खंड का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अधीक्षण अभियंता को कार्य के निष्पादन की देखरेख और समय-समय पर उस पर प्रशासनिक नियंत्रण सौंपना प्रतीत होता है।” इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि इस न्यायालय ने एक नियम के रूप में निर्धारित किया है कि मध्यस्थता समझौते को स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संदर्भित करने के लिए एक समझौता है।

ई.

एफ.

जी.

4 1996 (2) एससीसी 216

एच.

मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद या अंतर और अनुबंध के खंड में ऐसा समझौता होना चाहिए।हम उपरोक्त अनुपात के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं।यह स्पष्ट है कि किसी अनुबंध के लिए दो पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के समाधान के लिए, समझौते को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, उसमें नामित मध्यस्थ के लिए या अन्यथा किसी विवाद या अंतर का संदर्भ प्रदान करना चाहिए और इसकी अनुपस्थिति में पक्षकारों के बीच विवाद या अंतर को हल करने के लिए मध्यस्थता के संदर्भ में ऐसे समझौते के अस्तित्व को स्पष्ट करना मुश्किल है।

बी.

सी.

24. हम पाते हैं कि वर्तमान खंड 16 और विशेष रूप से खंड 16.3 में पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने का प्रावधान नहीं है।इस खंड का उद्देश्य सक्षम अधिकारी और आयुक्त को समय-समय पर काम के निष्पादन और उस पर प्रशासनिक नियंत्रण का पर्यवेक्षी नियंत्रण सौंपना है और इस प्रकार विवादों को रोकना है।इसका उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना नहीं है।इस प्रकार, वर्तमान परिस्थितियों में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, इसलिए, दिनांकित 17.06.2016 के विवादित आदेश को खारिज कर दिया जाता है।

डी.

25. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

ई.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.